पटेल ने की पीएसीएल के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने को लेकर चर्चा

भास्कर न्यूज | सांचौर

जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने सोलहवीं लोकसभा के सोलहवें सत्र के दौरान संसद में पीएसीएल के निवेशकों का पैसा वापस दिलवाने को लेकर सदन में चर्चा की। सांसद पटेल ने सदन में चर्चा के दौरान बताया की पीएसीएल कंपनी में देश के 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों के 49100 करोड़ एवं राजस्थान राज्य के 28 लाख निवेशकों का 2850 करोड़ तथा मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही के लगभग 2 लाख निवेशकों का 200 करोड़ रुपये की जमा पूंजी विगत जुलाई 2013 से बकाया चल रही है। पीएसीएल के निवेशक किसान, मजदूर व पिछड़े वर्ग से है जिन्होंने अपने बच्चों की पढाई, शादी व अन्य आवश्यक कार्यों हेतु अपना पेट काटकर पसीने की कमाई रजिस्टर्ड कम्पनी पीएसीएल में जमा करवाई थी। परन्तु कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सैबी ने अगस्त 2014 में कंपनी का कारोबार बंद करवा दिया जिसके बाद सभी निवेशकों कि जमा पूंजी कंपनी के पास ही जमा रह गई । सांसद पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2016 को आदेश दिया था कि पीएसीएल की सभी संपत्तियों को नीलाम करके निवेशकों का 6 माह में भुगतान करवाया जाये।

पीएसीएल के निवेशकों को न्याय दिलवाया जाए : पटेल

नवज्योति/रानीवाड़ा।

जालोर-सिरोही सांसद देवजी पटेल ने सोलहवीं लोकसभा के सोलहवें सत्र के दौरान संसद में पीएसीएल के निवेशकों का पैसा वापस दिलवाने को लेकर सदन में चर्चा की। सांसद पटेल ने सदन में चर्चा के दौरान बताया कि पीएसीएल कंपनी में देश के 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों के 49100 करोड़ एवं राजस्थान राज्य के 28 लाख निवेषकों का 2850 करोड़ तथा मेरे संसदीय क्षेत्र जालोर सिरोही के लगभग 2 लाख निवेशकों का 200 करोड़ रूपये की जमा पुंजी विगत जुलाई 2013 से बकाया चल रही है पीएसीएल के निवेशक किसान, मजदुर व पिछड़े वर्ग से है जिन्होंने अपने बच्चों की पढाई, शादी व अन्य आवश्यक कार्यो हेतु अपना पेट काटकर पसीने की कमाई रजिस्टर्ड कम्पनी पीएसीएल में जमा करवाई थी, परन्तु कंपनी की योजनाओं को अवैध मानते हुए सैबी ने अगस्त 2014 में कंपनी का कारोबार बंद करवा दिया जिसके बाद सभी निवेशकों की जमा पूंजी कंपनी के पास ही जमा रह गयी। सांसद पटेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2016 को आदेश दिया था कि पीएसीएल की सभी संपतियों को नीलाम करके निवेशकों का 6 माह में भुगतान करवाया जाये, परन्तु लंबा समय व्यतीत होने के बावजूद आज दिन तक उस पर कोई ठोस कार्यवाही नही हुई, इसलिए मजदूर एवं किसान वर्ग के निवेशकों को न्याय दिलवाने का मुद्दा उठाया।